तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुरारीलाल V/S रामदयाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
22/10/24	पत्रावली पेश हुई अभि० उभयपक्ष उप० तहसीलदार उच्चैन से रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रा० है पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 28/10/24 को पेश हो। Rahul.	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० तहसील-दार उच्चैन से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त जो शा० पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/11/24 को पेश हो। Rahul	
11/11/24	पत्रावली पेश हुई अभि० उभयपक्ष उप० उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/11/24 को पेश हो। Rahul	
20/11/2024	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 26/11/2024 को पेश हो। Rahul.	
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 29/11/24 को पेश हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई अभि० उभयपक्ष उप० पत्रानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रा० है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Rahul. उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 01 / 2023

1. मुरारीलाल पुत्र पन्ना जाति ब्राह्मण निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0। .....प्रार्थी

बनाम

1. रामदयाल
2. दामोदर
3. सुआ पुत्रान प्रभू जाति ब्राह्मण निवासी बहरारेखपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन भरतपुर राज0

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए, आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः—29.11.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 509 रकवा 0.07 विस्वा वाके ग्राम वहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में स्थित है जिसका प्रार्थी न्यारानुर खातेदार काश्तकार काविज आराजी है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्वर 509 के तरफ उत्तर व दक्षिण की ओर खसरा नम्वर 507 रकवा 0.14 विस्वा वाके ग्राम वहरारेखपुरा स्थित है तथा तरफ दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 508 स्थित है व पूरव की ओर खसरा नम्बर 510 स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्वर 509 जिसे आगे विवादित कहा जा रहा है को मौके पर किसी प्रकार का रास्ता स्थित नहीं है प्रार्थी अभी तक आम तौर पर खसरा नम्बर 507 के तरफ पश्चिम स्थित रास्ते आम से होता हुआ खसरा नम्बर 507 से गुजरते हुये जिये प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे मे वरंग सुर्ख दिखाया गया है से अपने खेत को आता जाता रहा है इससे अधिक नजदीक, सुक्ष्म व सुगम व सुविधाजनक एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता विवादित आराजी को नहीं

Rahul Shrivastava
उपखण्ड अधिकारी 29/11/24
उच्चैन (भरतपुर)

2/4

है। आराजी खसरा नम्बर 507 आवादी के नजदीक आ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 जो उसके सहखातेदार है अव प्रार्थी को विवादित आराजी तक खसरा नम्बर 507 से होकर नहीं जाने देते है इससे प्रार्थी अपनी जोत को सही प्रकार से काश्त भी नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 से रास्ता कायम करने के लिये सहमति का भी पूरा प्रयास किया है लेकिन अप्रार्थीगण मौके पर नया रास्ता कायम करने को तैयार नहीं है एवं दिनांक 4.4.2019 को आराजी खसरा नम्बर 507 में होकर खसरा नम्बर 509 के लिये सहमति से रास्ता कायम करने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने रास्ता कायम करने से साफ इन्कार कर दिया है तथा प्रार्थी को यह साफ तौर पर धमकी दी है कि शीघ्र ही आराजी खसरा नम्बर 507 की रास्ता आम की तरफ पुख्ता दीवाल निर्माण कराते हुये रास्ते को पूरी तरह वन्द कर देंगे व प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 509 तक नहीं जाने देंगे ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने का पूरा अन्देशा पैदा हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 509 वाके ग्राम वहरारेखपुरा तहसील उच्चैन की पहूंच हेतु आराजी खसरा नम्बर 507 वाके ग्राम वहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में होकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे के मुताविक दो गठ्ठा चौडा व 12 गठ्ठा लम्वाई में नया रास्ता कायम कराया जाकर रिकॉड में अमल कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 509 के रिकार्डेड खातेदार है लेकिन मौके पर 30 वर्ष से कोई काश्त प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है और उक्त आराजी आज भी पडत है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 509 पर जाने हेतु अपनी ही आराजी खसरा नम्बर 510 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर रास्ता आम आवागमन हेतु कायम है जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 509,508 में आवागमन करता है प्रार्थी की यह कहता नितान्त गलत है कि वह आराजी खसरा नम्बर 507 से होकर गुजरता है तथा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को विवादित आराजी पर आवागमन हेतु नहीं है प्रार्थनापत्र वेवजह अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 507 हमेशा से आवादी के नजदीक था तथा उक्त आराजी में कोई रास्ता कायम नहीं था और नाही आज है और नाहि कभी रहा है प्रार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 507 को कभी भी अपने रास्ते के रूप में आवगमन हेतु काम में नहीं लिया है प्रार्थी द्वारा तथ्यों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड मरोड कर पेश किया गया है जबकि सच्चाई यह है कि खसरा नम्बर 507 तीन हिस्सों में विभक्त है तथा उक्त आराजी की चारों तरफ से दासावंदी हो रही है तथा खातेदार दामोदर द्वारा अपने हिस्से की भूमि में पुख्ता निर्माण मकानियत व गैतवाडा वना रखा है तथा शेष भूमि गैतवाडे के रूप में काम आ रही है तथा अप्रार्थीगण विना किसी वाधा के अपनी भूमी का उपयोग व उपभोग कर रहे है प्रार्थी द्वारा रास्ता कायम की सहमति वाला तथ्य गलत दर्ज किया गया है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य इस सन्दर्भ में कोई वातचीत किसी प्रकार की नहीं हुई है और नाहि प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बर 509 के लिये आराजी खसरा नम्बर 507 से रास्ता कायम किये जाने की आवश्यकता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र महज राजनैतिक द्वेष भावना से अप्रार्थीगण की आराजी को खुर्दवुर्द करने के आशय से पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। जवकि सच्चाई यह है कि प्रार्थी ने सच्चाई को छिपाते हुये यह प्रार्थनापत्र अदालत में पेश

Rahul Bhupaty
उपखण्ड अधिकारी 29/11/24
उच्चैन (भरतपुर)

किया है क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 509 से लगा हुआ खसरा नम्बर 508 है जिसका कि प्रार्थी खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में जो कि मौके पर आपस में मिले हुये है तथा एक हो रहे है उक्त दोनों नम्बरान आराजी खसरा नम्बर 510 से लगे हुए है जो कि प्रार्थी के चाचा सत्तो के कब्जे काश्त की आराजी है आराजी खसरा नम्बर 510 से ग्राम बहरारेखपुरा की आबादी लगी हुई है तथा आराजी खसरा नम्बर 508,509 के दक्षिण की ओर वनी मकानियत प्रार्थी के कुटुम्ब की है जिनके आवागम हेतु दो रास्ता आम कायम है तथा आवागमन हो रहा है तथा वर्तमान में उक्त दोनो रास्ते आराजी खसरा नम्बर 508,509,510 पर जाकर खुलते है जिसका प्रयोग प्रार्थी उसके चाचा व अन्य व्यक्ति कर रहे है। प्रार्थी उक्त आराजीयत में बिना भूमि रूपान्तरण कराये अवैध रूप से कालौनी बसाने के आशय से प्लाट बेचना चाहता है इसी उद्‌देश्य के लिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार उच्चैन ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि आवेदन एवं अनावेदक की आराजीयात एवं प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार संलग्न है। खसरा नम्बर 607 रकवा 0.11 खातेदारों द्वारा मनवट अनुसार अपने–अपने गैतवाडा एवं निवास बना रखे है जोकि पक्के है। रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की अवस्था में लगभग 0.01 है0 भूमि दी जावेगी जोकि पक्षकारों की सहमति/न्यायालय निर्णयानुसार रहेगी। वर्तमान खसरा नम्बर 609 बंजड है ख0न0 873 गै0मु0 आबादी में होकर ख0न0 610 तक रास्ता प्रचलन में है। वर्तमान में ख0न0 610 के लिए रास्ता ख0न0 596 गै0मु0 रास्ता से होते हुए आबादी ख0न0 873 गै0मु0 आबादी में होकर वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद बादी द्वारा ख0न0 607 से होकर रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 609 के लिए मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है एवं खसरा नम्बर 607 से गुजरते हुये वह अपने खेत में आता जाता रहा है एवं इससे अधिक नजदीक एवं सुगम व सुविधाजनक एवं अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजी के लिये नहीं हैं खसरा नम्बर 609 के लिए खसरा नम्बर 607 से होकर 2 गट्‌ठा चौडाई एवं 12 गट्‌ठा लम्बाई का रास्ता कायम कराया जाकर रिकार्ड में अमल कराये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 607 में अप्रार्थीगण का निवास एवं गैतवार्ड आदि बने हुये है एवं पक्का निर्माण हो रखा है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतू आबादी से होकर रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रार्थी हमेशा से अपनी आराजी पर आने जाने हेतू करता रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी में आबादी के नजदीक आ जाने के कारण प्लाटिग कराना चाहता है जिसके कारण वह आराजी खसरा नम्बर 607 से सीधा रास्ता चाहता है जबकि आराजी खसरा नम्बर 609 पर पहुंच हेतू रास्ता उपलब्ध है प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं ब्लूप्रिंट नक्शे एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 607 में पक्का निमार्ण हो रखा है एवं प्रार्थी के

Rahul Bhardwaj
उपखण्ड अधिकारी 29/11/24
उच्चैन (भरतपुर)

खसरा नम्बर 609 में पहुंच हेतू 596 गै0मु0 रास्ता से होते हुये आबादी खसरा नम्बर 873 गै0मु0 आबादी में होकर रास्ता चालू है एवं प्रार्थी खसरा नम्बर 607 से होकर रास्ता अपने सुविधाजनक उपयोग के लिये चाहता है। चूकिं प्रार्थी की आराजी पर पहूंच हेतू वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को खसरा नम्बर 607 से होकर रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 29/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)